निर्णय बइजलास श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस.
उप खण्ड अधिकारी बारां राज. अधिकारित

प्रकरण सं. - 118/2020 दावा
दायरा दिनांक :- 21.9.2020
निर्णय दिनांक :- 8.10.21

उनवान

1. चन्द्रमोहन पुत्र रतनलाल
2. हरिशंकर पुत्र रतनलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल
4. सीताबाई पुत्री रतनलाल
5. निर्मलाबाई पुत्री रतनलाल
6. जमनाबाई पुत्री रतनलाल
7. भंवरलाल पुत्र रामकल्याण
8. प्रवणकुमार पुत्र रामकल्याण
9. शिवप्रसाद पुत्र रामकल्याण
10. दीनदयाल पुत्र रामकल्याण
11. कुन्दबाई पुत्री रामकल्याण
12. द्रोपदी बाई पुत्री रामकल्याण
13. चन्द्रकला पुत्री रामकल्याण जाति नाथ निवासी गण बामली बारां

बनाम

सुनील बाई पत्नी रामकिशन जाति नाथ निवासी बामली तहसील बारां

वाद पत्र धारा 188 RTA
निर्णय दिनांक :- 8.10.21

अभिभाषक उपस्थित :- श्री [illegible] वादी

अभिभाषक वादीगण [illegible] वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 2

Scanned with CamScanner

विरुद्ध प्रार्थी वादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। लिखा कि वाके ग्राम बामला तह. बारां में ख. नं. 1172 रकबा 5.90 हे. भूमि स्थित है उक्त आराजी में वादीगण के नाम 1/2 1/3 के रूप में दर्ज थी तथा उर्मिला बाई पुत्री स्व. श्री बाबूलाल पत्नी शिवप्रकाश जाति नायक निवासी बामली के 1/24 के रूप में दर्ज थी इस प्रकार वादीगण व उर्मिला बाई सह खातेदार थे, जिनके मध्य भूमि का बंटवारा कभी भी नहीं हुआ तथा सभी शामलात रूप से भूमि काश्त करते थे। उर्मिला बाई ने बिना बंटवारा करवाये अपना 1/24 हिस्सा दिनांक 5.7.2019 को प्रार्थी वादिनी को कोई रजिस्टर्ड बेचान करने से बेचान कर दी यह रजिस्टर्ड बेचाननामा बिना बंटवारा करवाये किया गया था इस कारण उर्मिला बाई द्वारा जो भूमि बेची वह इन्तकाल नं. 1925 दिनांक 19.12.2019 से प्रार्थी वादिनी के नाम 1/24 हिस्से के रूप में दर्ज हुई। क्योंकि दुनीता प्रार्थी वादिनी ने एक रजिस्टर्ड बयनामा बिना वादीगण की सहमति से करवाया है जिससे वादीगण सहमत नहीं थे। एवं इस कारण प्रार्थी वादिनी एक अजनबी क्रेता है तथा अजनबी क्रेता को बिना बंटवारा करवाये भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रवेश करने का हासिल नहीं है तथा रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर इन्तकाल नं. 1925 दिनांक को दर्ज किया गया है वह भी अवैध व शून्य है क्योंकि बिना बंटवारा यह इन्तकाल दर्ज हुआ है। इस कारण प्रार्थी वादनी को बिना बंटवारा वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर काश्त करने का अधिकार नहीं है।

दिनांक 9.7.2020 को प्रार्थी वादनी वादीगण की विवादित आराजी कब्जे हिमायतियों के साथ आयी और वादीगण को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि में खड़ी फसल को मैं ही काटकर ले जाउंगी। जो मुझे रोकेगा उसको जान से मार दूंगी। वादीगण ने समझाने का प्रयास किया तो मारने व पीटने पर आमादा हुए बामुश्किल वादीगण ने प्रार्थी वादनी को वापस भेजा। फिर भी [illegible] वादीगण को धमकी देकर गयी है कि मैं फसल काटकर ले [illegible] जिसका प्रार्थी वादिनी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं [illegible] वादीगण प्रार्थी वादनी के विरुद्ध

लगातार - 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 3.7.2020 को प्रति वादी द्वारा वादी गण की विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने धमकी देने पर ग्राम बामला तह० बारां मे पैदा हुआ वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी गण द्वारा का वाद दर्ज रजि० कर प्रति वादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति वादीया के विरुद्ध दिनांक 9.2.21 एक तरफा कार्यवाही की गयी। वादी गण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत 2072-75 खाता नं. 266, नकलजमाबंदी सम्वत 2072-75 खाता सं. 266, नकल नामा० ग्राम बामला, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.7.2019 पेश की गयी। साक्ष्य वादी ने नन्दमोहन का शपथ पत्र पेश हुआ

बहस अभिभाषक वादी गण सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामला मे स्थित है विवादित आराजी वादी गण व प्रति वादी के शामलाती खातेदारी मे दर्ज है खातेदार पुनीता बाई द्वारा बिना बटवारा कराए कब्जा 1/24 हिस्सा प्रति वादनी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया गया है। रजिस्टर्ड बेनामा बिना बटवारा कराए किया है पुनीता प्रति वादनी ने रजिस्टर्ड बयनामा बिना वादी गण की सहमति के करवाया है जिसमे वादी गण सहमत नही है प्रति वादनी द्वारा वादी गण की बिना सहमति के प्राप्त कर की गयी है उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामा०नं. 1925 दिनांक 20.12.19 को दर्ज किया गया है जो अवैध व प्रभाव शून्य है प्रति वादीया को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वादी गण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

बहस अभिभाषक व वादी गण सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी वाके ग्राम बामला तह० बारां सम्वत 2072-75 खाता सं. 266 के अनुसार वादीगण एवं प्रति वादी गण के शामलाती [illegible] मे दर्ज है। जमाबंदी मे नामा. सं. 1925 दिनांक 20.12.2019 [illegible] अंकित है। नकल नामा० ग्राम बामला विक्रय पुनीता बाई [illegible] 1/24 के बेचान पर पुनीता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बाई का नाम दर्ज होना पाया गया। नकल विक्रय पत्र दिनांक 5.7.2019 से दुर्गिया बाई द्वारा पुनीता बाई पत्नी रामकिशन जाति नायक को बेचान किया गया। इससे यह साबित किया जाता है कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रार्थी वादी के शामलाती खातेदारी मे दर्ज है जिसका दुर्गिया बाई द्वारा प्रार्थी वादनी को वाजिब हिस्से की भूमि का बेचान कुल राशि विक्रय पत्र से किया गया। प्रार्थी वादिया द्वारा विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गयी यदि विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ का बिना बंटवारा किये प्रार्थी वादिया द्वारा भूमि क्रय की गयी थी प्रार्थी वादनी द्वारा दुर्गिया बाई के हिस्से 1/24 को ही क्रय किया है जिससे से अधिक भूमि क्रय नहीं की गयी थी। वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर प्रार्थी वादनी को वादीगण के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है प्रार्थी वादनी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामला तहसील बारां के ख.नं. 1172 रकबा 5.90 हे० में वादी गण के हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करेगा एवं स्वयं न तो स्वयं करेगा और न ही अपने प्राईवेट व्यक्तियों से करायेगा तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उप खण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

अन्य/क्षतिपूर्ति			
ब्याज (%)			
योग			

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

118/20	धारा अंतर्गत 188 RTA	निर्णय दिनांक 2.10.21
श्री हिमांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बाबूलाल जैन		अभिभाषक प्रतिवादी -

वाद शीर्षक

1. चन्द्रमोहन पुत्र रतनलाल 2. हरिशंकर पुत्र रतनलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल 4. लीलाबाई पुत्री रतनलाल
5. निर्मलाबाई पुत्री रतनलाल 6. कमलाबाई पुत्री रतनलाल
7. मनोहरलाल पुत्र रामकल्याण 8. रूपकुमार पुत्र रामकल्याण
9. शिवप्रसाद पुत्र रामकल्याण 10. दीनदयाल पुत्र रामकल्याण
11. कुन्तीबाई पुत्री रामकल्याण 12. द्रोपदीबाई पुत्री रामकल्याण
13. चन्द्रकला पुत्री रामकल्याण जाति नागर निवासीगण कस्बा तह. बारां

बनाम

सुनीताबाई पत्नी रामनिवास जाति नागर नि. बामला तह. बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी गण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादिनी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामला तहसील बारां के ख. नं. 1172 रकबा 5.90 हे. में वादी गण के हिस्से एवं कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अन्य व्यक्तियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 2.10.21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner